न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2023

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
वीरसिंह पुत्र जोधसिंह जाति राजपूत निवासी रेडाणा, बाडमेर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाडमेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.12.2022 जो प्रकरण सं. 38/2022 मे तहसीलदार बाडमेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता, उत्तरदाता की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.12.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रकरण सं. 38/2022 सरकार बनाम वीरसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 30.12.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि हलका पटवारी बाडमेर शहर द्वारा तहसीलदार बाडमेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाडमेर शहर के खसरा नम्बर **3168/1606** रकबा **31–10 बीघा** किस्म बारानी सोयम सरकारी भूमि में से **2500 वर्गफीट** पर गैर सायल **वीरसिंह पुत्र जोधसिंह जाति राजपूत निवासी रेडाणा, बाडमेर** द्वारा मकान निर्माण कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हलका पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज कर गैर सायलान को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गया। गैर सायलान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा गैर सायलान को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **30.12.2022** के द्वारा **1/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर धारा 91 के तहत जवाब हेतु नोटिस जारी किया तथा पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक **25.08.2022** को नियत की गई। अपीलांट की ओर से नियत दिनांक पर अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु अवसर चाहा गया। आगामी पेशी दिनांक 30.09.2022 को जवाबमय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 04.06.2007 को कय की गई थी तथा भूमि के विक्रेता गेनसिंह वगैरह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार थे। भूलवश यह भूमि सरकार के नाम दर्ज हो गई थी जिसके लिए नियमित राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष पेश किया था, जो वर्तमान में राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। उक्त वाद के विचारण के दौरान 91 की संक्षिप्त कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने से ड्रॉप की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का सम्यक अवसर दिये बिना अंतिम बहस पर अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता को अनुपस्थित मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। हलका पटवारी द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई है एवं अपीलांट पर मनगढत एवं बेबुनियाद रूप से अतिक्रमण का आक्षेप

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

लगाया गया है। ग्राम बाडमेर खसरा न. 1605 रकबा 01 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन का बेचान कमलसिंह पुत्र खूमसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर द्वारा अपीलांट वीरसिंह पुत्र जोधसिंह को किया गया। उक्त खसरे की भूमि के चारो तरफ खसरा संख्या 1606 की भूमि आई हुई है जो भूमि सेटलमेंट टीम द्वारा गलती से कमलसिंह पुत्र खूमसिंह के नाम दर्ज नहीं होकर राज्य सरकार के नाम गलत रूप से दर्ज की जबकि उपरोक्त खसरे की भूमि पर कमलसिंह का कब्जा व काश्त सन् 2007 तक रहा। तत्पश्चात् उक्त खसरे की भूमि अपीलांट वीरसिंह पुत्र जोधसिंह को बेचान कर कब्जा करवा दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के स्वामित्व हितों एवं दस्तावेजों को विचार किये बिना एवं पत्रावली का परीक्षण के बिना ही आनन–फानन में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। उक्त विवादित भूमि पर अपीलांट द्वारा पक्का मकान का निर्माण कर विद्युत एवं जल कनेक्शन भी लिया हुआ है जो कि अपीलांट का एकमात्र रहवासीय आसरा है। उक्त भूमि में 30 फीट के आम रास्ते बने हुए हैं, जिस पर सडक भी बनी हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 38/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

5. हमनें अपीलांट के योग्य अधिवक्ता को सुना एवं प्रकट तथ्यों एवं तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने स्वामित्व भूमि पर कब्जा व आधिपत्य होना प्रकट किया है। अधीनस्थ न्याय[illegible] समक्ष अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर अधीनस्थ न्याय[illegible] पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के विरुद्ध [illegible] प्रकरण को निरस्त करने का का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अवलोकन से पाया जाता है कि राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष पेश किया था, जो वर्तमान में राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन है। जहां तक विवादित भूमि पर अपीलार्थी का अवैध कब्जा होने का प्रश्न है तो उनके द्वारा उक्त भूमि उम्मेदसिंह पुत्र कमल सिंह, गेनसिंह, जालमसिंह पितरान पदमसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर से जरिये इकरारनामा एवं पंजीबद्ध क्रय किया जाकर नियमानुसार एवं विधिसम्मत मकान का निर्माण करवाया गया है, अपीलाधीन कार्यवाही में इन समस्त तथ्यों की जांच एवं साक्ष्यों को अभिलेख पर लिए जाने के उपरान्त समुचित निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार अपीलांट के विरुद्ध मुतनाजा सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण का तथ्य उपलब्ध साक्ष्यों से ठोस रूप से प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूमि पर अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रकरण संख्या 38/2022 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.12.2022 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के स्वामित्व की भूमि एवं मुतनाजा भूमि के दस्तावेजों का राजस्व मण्डल के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में विधिपूर्ण विवेचन उपरान्त प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक **18.12.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 17:08:24 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर